64

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1146—दो/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 09—04—2015 के द्वारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 53/2011—12/ अपील

.....

शम्भूदयाल पुत्र रामकिशन
निवासी—ग्राम जानपुरा, तहसील व
जिला— श्योपुर म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1— नैनगी बेवा धन्ना सहर
2— सूरजो पुत्र धन्ना सहर
3— देवीराम पुत्र धन्ना सहर
4— गोवर्धन पुत्र धन्ना सहर
समस्त निवासीगण— ग्राम जानपुरा, तहसील व
जिला— श्योपुर, म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, आवेदक

.....

## आदेश

(आज दिनांक 4-10-16 को पारित )

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 53/अपील/2011—12 माल में पारित आदेश दिनांक 09—04—2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि सर्वे क्र. 85,101,128 वन्दोबस्त वाद क्रमांक 32, 35, 42 रकबा क्रमशः—कुल किता —2 कुल रकबा लगभग 7 वीघा 9 विस्वा, स्थित ग्राम जानपुरा आवेदक शम्भूदयाल के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित थी । प्रकरण में वर्णित भूमियां

आवेदक के पूर्वजों की भूमियॉ है, जिन पर अपने पूर्वजों के जमाने से खेती करते चले आ रहे है तथा उक्त भूमियों को सिंचित करने के लिए पंम्प –कुआं भी आवेदक के द्वारा निर्मित किया गया है, जिससे कृषि भूमि में सिंचाई होती है।

3/ अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर मौजा पटवारी व तहसीलदार से प्रतिवेदन प्राप्त कर बगैर किसी सूचना के आधार के उभय पक्षों को सूचना न देकर प्रकरण में मनमाने तौर से दिनांक 27.04.11 को प्रकरण को एम0पी0एल0आर0सी0 की धारा–170 (ख) का मानते हुए, उक्त भूमियों से मुझ आवेदक का नाम भूमिस्वामी के कॉलम से विलोपित कर राजस्व रिकार्ड में अनावेदकगणों के नाम अमल कराया, जिसके संबंध में न तो कोई शिकायत उनके द्वारा की गई, और प्रकरण में आवेदक शम्भूदयाल को सूचना–पत्र भी जारी नहीं किया गया। महज कल्पना के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2011 को आदेश पारित किया। जानकारी होने पर अपील आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला–श्योपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्र0 32/2010–11/अपील राजस्व पर दर्ज होकर दिनांक 24.01.2012 को निरस्त कर दी गई । जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील आवेदक द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की, जो प्रकरण क्रमांक 53/2011–12/अपील पर दर्ज होकर दिनाक 09.04.2015 को निरस्त कर दी गई, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई ।

4/ प्रकरण में अभिलेख तलब कर अनावेदकगणों को नोटिस जारी किये गये व रजिस्टर्ड डाक से तामील कराई गई, किन्तु वाद तामील उपरांत अनावेदकगण अनुपस्थित रहने से प्रकरण में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया । प्रकरण के रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया व आवेदक अधिवक्ता की बहस श्रवण की ।

5/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में बताया कि प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा कल्पना के आधार पर प्रकरण को स्वमेव (Sau motto) में लेकर प्रकरण को धारा–170(ख) म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 का मानते हुये प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की जो कि क्षेत्राधिकार रहित है, क्योंकि म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रकरण को स्वमेव लेने का अधिकार केवल कलेक्टर महोदय को है । प्रकरण में अनावेदकगणों के नाम फर्जी लिखकर कार्यवाही की गई है । प्रकरण में अनावेदकगण न तो शिकायतकर्ता है और न ही

प्रकरण में सूचनादाता है और न ही अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के समक्ष उपस्थित हुये है तथा अनावेदकगण कलेक्टर न्यायालय में भी उपस्थित नहीं हुये है तथा अनावेदकगण माननीय अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष उपस्थित नहीं हुये । इस कारण अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा बगैर साक्ष्य लिये व बगैर सूचना पत्र जारी किये, प्रकरण में फर्जी कार्यवाही कर हम भूमिस्वामी की भूमि को अनावेदकगणों के नाम कर क्षेत्राधिकार विहीन आदेश पारित किया, जो स्थिर रखने योग्य नहीं है ।

6/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया । प्रकरण में आवेदक द्वारा खसरा –खतौनी वर्ष 2007–08 की प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत की, जिनमें प्रकरण में वर्णित भूमियों के आवेदक भूमिस्वामी है तथा आवेदक द्वारा कुआं निर्माण उक्त भूमियों में कराया गया, उसका भी इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में है तथा प्रकरण के अधीनस्थ न्यायालयों में व इस न्यायालय में अनावेदकगण अनुपस्थित रहे है । प्रकरण में आवेदक के भूमिस्वामी दस्तावेजों खसरा–खतौनी के साक्ष्य का खण्डन प्रकरण में मौजूद नहीं है और बगैर खण्डन किये राजस्व दस्तावेजों खसरा–खतौनी जिसमें आवेदक का नाम भूमिस्वामी अंकित है। भूमिस्वामी होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है और इन कानूनी बिन्दुओं का विचारण न्यायाल, प्रथम अपीलीय न्यायालय, द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा अनदेखा कर त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक आदेश पारित किया है जो स्थिर रहने योग्य नहीं है ।

7/ प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा बिना किसी सूचना के आधार के प्रकरण को स्वमेव में लेकर कल्पना के आधार पर कार्यवाही की गई है । जिसमें अनावेदकगण द्वारा कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है । ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय की कार्यवाही दोषपूर्ण होने से स्थिर रहने योग्य नहीं है ।

8/ अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहॅूचता हॅू कि प्रकरण में जब तक खसरा–खतौनी जिसमें आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित तथा जिसका खण्डन प्रकरण में मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक भूमिस्वामी नहीं है । परिणामतः निगरानी स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण क्रमांक 12/9–10/अपील, आदेश दिनांक 27.04.2011 द्वारा पारित अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर, प्रकरण क्रमांक 32/2010–11/अपील, आदेश दिनांक 24.01.2012 द्वारा पारित कलेक्टर, श्योपुर तथा प्रकरण 53/2011–12/ अपील, आदेश दिनांक 09.04.2015 द्वारा पारित अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना अनियमित व

अवैधानिक होने से निरस्त किये जाते है तथा मौजा पटवारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में वर्णित भूमियों पर अनावेदकगणों का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित कर आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज करें ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर